संख्या-८३/2016/2269/52-1-16-01(98)/13

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश,

इन्दिरा भवन, लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 लखनऊ, दिनांक 09 सितम्बर, 2016

विषय एम०एस०डी०पी० के अन्तर्गत प्रदेश के 48 जनपदों के विकास खण्डों में ब्लाक लेबिल फैसिलीटेटर की तैनाती के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-2028/52-1-2015-01-(98)/13, दिनांक 30.06.2015 के क्रम में अपने पत्र संख्या-1818/अ०स०क०नि०/एम०एस०डी०पी०-फैसि०नियु०/2015-16, दिनांक 09.08.2016 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से एम०एस०डी०पी० के अन्तर्गत प्रदेश के 48 जनपदों के विकास खण्डों में ब्लाक लेबिल फैसिलीटेटर के मानदेय के सम्बन्ध में समर्पण की गयी धनराशि रू० 2,74,89,643/- को पुन: अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

2- उपर्युक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में ब्लाक लेबिल फैसिलीटेटर की तैनाती हेतु कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1012(2)/52-1-2016-बजट(8)/16, दिनांक 31.03.2016 द्वारा समर्पित की गयी धनराशि रू० 274.89643 लाख (रू० दो करोड़ चौहत्तर लाख नवासी हजार छ: सौ तैंतालीस मात्र) अवमुक्त कर आपके निवर्तन पर रखने व व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1- उपरोक्त धनराशि को सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारियों के निवर्तन पर रखते हुए उनके माध्यम से ब्लाक लेबिल फैसिलीटेटर की तैनाती के सत्यापनोपरान्त उन पर आने वाले व्यय हेतु उपयोग किया जायेगा।

2- प्रश्नगत धनराशि के व्यय हेतु भारत सरकार एवं वित्त विभाग/शासन के संगत शासनादेशों/नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा एवं यथावश्यक अनुमोदन प्राप्त कर धनराशि व्यय की जायेगी।

3- धनराशि के व्यय हेतु विभिन्न शासनादेशों में इंगित शर्तों/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए तदनुसार ही भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।

4- सम्बन्धित जिलाधिकारियों द्वारा भुगतान से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उनके जनपद के सम्बन्धित ब्लाक में तैनात ब्लाक लेबिल फैसिलीटेटर समुचित रूप से कार्य का निष्पादन कर रहे हैं।

http://sirsamaj.up.nic.in

5- उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय- व्ययक के अनुदान संख्या-48 के **लेखा शीर्षक-2235** -सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-800-अन्य व्यय-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें- के अन्तर्गत **0104-एम०एस०डी०पी० योजनान्तर्गत अल्पसंख्यक बाहुल्य विकास खण्डों में फैसिलीटेटर की नियुक्ति -** 16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान-42-अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त 1-अनुभाग (यकव्य-आय)के कार्यालय-1-0बी/2016/1-ज्ञाप संख्या-/746दस में निहित प्राविधानों के अनुसार 2016-03-22 दिनांक ,2016/231-2016- जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।

संख्या-2269(1)/बावन-1-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- बजट अधिकारी, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 को तीन स्वच्छ प्रति तथा वित्त-ई-11 को 01 प्रति।
6- लेखाधिकारी/वेब अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, लखनऊ को इस आश्य से प्रेषित कि उपरोक्त स्वीकृति अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
7- सम्बन्धित जिलाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी।
8- अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कलाम मुहीउद्दीन)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in